न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 164/2025 तारीख रजू :- 29/07/2025

प्रार्थना पत्र बाबत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई०डी० नम्बर 2025/439

उनवान

दयालसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—सायल

बनाम

बनवारी पुत्र दलगंजी जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—गैरसायलान—02

दिनांक	फर्द अहकाम	
29/7/2025	आज यह प्रार्थना पत्र सायलाने की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को भूमि का उपयोग उपभोग करने मजामहत, मदाखलत नहीं करने, बेदखेल नहीं करने, भूमि को रहनवय नहीं करने हेतु गैरसयालान को जेरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उमयपक्षकारान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 521, 522, 524, 556, 558, 565, 422 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन पर सायले के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं गैरसायलान को तलबी हेतु रजिस्टर्ड तामील जारी हो। पत्रावली दिनांक 04.09.2025 को पेश हों। (हस्ताक्षर) (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
04/9/25	आज पत्रावली पेश हुई। सायल दयाल सिंह ने दि. 26.08.25 को प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि लोक अदालत की भावना के चलते पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। अब पक्षकारान मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं। इसी स्टेज पर निस्तारित करना चाहते हैं। प्रकरण पत्र स्वीकार फरमाया जाकर Note Press चाहते हैं। प्रा० फरमाने की इजाजत प्रदान करें।	

P.T.O.

अतः मुकदमा नं० 164/2025 उनवानी ख्यालसिंह बनाम बनवारी वगै० T. 9. प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को not-press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नं. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो व मूल दावे के साथ शामिल मिसल रहे।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)